



(253)

(129)

१५८४ महोदय रुप्य R. 5204-८०/१६

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल विविहा जिला रीवा म०प्र०



शिवनाथ पिता भजन साहूत निवासी रमनगरी उम्र 65 साल, तहसील

हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

आवेदक

श्री अशोक तिथानी पट  
दाम पक्ष 6.5.16

बनाम

6.5.16

शासन म०प्र०

अनावेदक

निगरानी बिल्द आदेश अनुबिभागीय अधिकारी  
महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० के  
प्र०फ००९०३७४/१३-१४ से पारित आदेश दिनांक  
18. 3. 16 के बिल्द अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० रु०  
रा० द्वितीया के अधीन निगरानी ।

महोदय,

#### निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मैं जा रमनगरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म०प्र० में स्थित भूमि ख०क०१९५ रक्वा०.०७८. शासन म०प्र० की भूमि है, जिस भूमि से आवेदक का उसके पिता के अनुक्रम में आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व से मकान, शौचालय, खेलिहान, एवं बृक्षों का उपयोग, उपभोग करते हुये द्वेरीना कछा चला आ रहा है, जिस भूमि में आवेदक का 6 कमरा मकान, आम के दो बृक्ष, नीबू, सक, सिंहसन, उमर, नीम, अमृद, बाँस आदि के बृक्ष लगे हुए हैं। तथा उसी भूमि से 5 दिसमिल भू भाग में आवेदक का खेलिहान एवं कछा दखल आम निश्तार के रूप में चला आ रहा है, इस प्रकार उपर भूमि में आवेदक का 0.078. भू भाग से 60 वर्ष से कछा दखल, आबादी चला आ रहा है।

श्री अशोक तिथानी पट  
दाम पक्ष 6.5.16

6.5.16

रहा है।

1/2/2016 12/03/2016

129

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक ..... R-5204-II/16 ..... जिला झीवा

शिवानाथ साकत ..... विरुद्ध ..... छासन भ०प्र०

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अशोक तिवारी..... अधिवक्ता  द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील..... हुनुमता..... के  प्रकरण क्रमांक..... ५०/अ-८४/२०१३-१४..... में पारित  आदेश दिनांक..... १८/०३/१६..... के विरुद्ध प्रस्तुत की  गयी है। म०प्र० भ०-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये  संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50  सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण  कलेक्टर..... झीवा..... के न्यायालय को अंतरित किया  जाता है। उभयपक्ष दिनांक ..... २९/०३/१९ ..... को  कलेक्टर..... झीवा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु  उपस्थित हो।</p>	

१  
२  
सदस्य